

R. S. Vishwakarma  
I.A.S.

Secretary



Government of Chhattisgarh

Department of Health & Family Welfare

164, Dau Kalyan Singh Bhawan,

Mantralaya, Raipur (C.G.), Pin : 492001

Phone : 0771-2221164, 2220014, 4080285,

Telefax : 0771-4080285

E-Mail : secy-hfw-raj@nic.in

D.O. No : 2438.....

Date : 25.10.08.....

प्रति,

- सचिव, ग्रामीण विकास विभाग  
सचिव, नगरीय प्रशासन विभाग  
आयुक्त, बस्तर, सरगुजा, रायपुर, विलासपुर समान  
कलेक्टर, जिला .....  
आयुक्त, नगर निगम .....  
मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
• जिला पंचायत, .....  
• जनपद पंचायत, .....  
• नगर पंचायत .....  
• नगर पालिका .....

विषय :- प्रदेश के छः जिलों बस्तर, विलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा, रायपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का क्रियान्वयन।


- : 0 : -

आपको जानकार हर्ष होगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में, छत्तीसगढ़ शासन प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के चिन्हांकित जिलों (बस्तर, रायपुर, सरगुजा, दुर्ग, विलासपुर राजनांदगांव) में गरीब परिवार अथवा धरदार बनाने वाले मजदूर परिवारों के लिये "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" प्रारंभ कर रही है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार (पांच सदस्यों तक) 30,000/- तक बीमा किया जायेगा, इस बीमा के तहत मेडिकल एवं सर्जरी बीमारियों के क्षतिपूर्ति की जायेगी। गरीब परिवार के बीमा के लिए प्रिमियम शासन द्वारा देय होगी। इस हेतु चयनित ओरिजेंटल इन्स्योरेन्स कम्पनी बी.पी.एल. परिवारों को स्मार्ट कार्ड प्रदान करेगी जिसके द्वारा मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकेंगी।

इस योजना का संचालन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। हम इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को राज्य में अतिशीघ्र प्रारंभ करना चाहते हैं। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु ऊपर अनुसूचित छः जिलों में रहने वाले बी.पी.एल. परिवार का सूची अत्यंत आवश्यक है। जिसमें परिवार के सदस्यों के नाम अंकित हो।

राज्य में बी.पी.एल. परिवारों का जानकारी हेतु सन् 2002 एवं 2007 में ग्रामीण तथा नगरीय अंचल सवेक्षण किए गए थे, जिसके प्रतिलिपि विकासखण्ड पंचायत तथा नगर पंचायत, नगर निगम, नगर पालिका में उपलब्ध है।

इस बी.पी.एल. परिवार की विस्तारित विवरण आंकड़े निर्माण के लिए एक निविदा विज्ञापन 26.09.2008 को प्रमुख समाचार पत्र में दिया गया था। इस निविदा के तहत कुछ कम्प्यूटर कम्पनी का चयन किया गया है। जो कि आप से सर्वेक्षण प्रपत्र का प्रतिलिपि संग्रह करने अतिशीघ्र ही आयेंगे। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप सारे सर्वेक्षण प्रपत्र तैयार रखें ताकि उसे जल्द से जल्द कम्प्यूटर कम्पनियों को उपलब्ध किया जा सके। राज्य स्वास्थ्य संसाधन केन्द्र द्वारा अधिकृत व्यक्तियों/कम्पनियों द्वारा यह आपके कार्यालय से एकत्रित किया जावेगा। तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित फारमेट में उक्त सूची को परिवर्तित किया जायेगा ताकि बीमा करने वाली कंपनी को बी.पी.एल. व्यक्तियों की परिवार सहित जानकारी शीघ्र मिल सके व योजना को लागू करने की कार्यवाही की जा सके।

  
(आर.एस. विश्वकर्मा)  
सचिव

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग


प्रतिनिधि

पु. क्रमांक २५५२/वीएस/स.स.वा./२००८

रायपुर, दिनांक : २२/०७/०८

१. भिशन संमेलक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य भिशन, रायपुर, छत्तीसगढ़।

२. राज्य स्वास्थ्य परिषदन केन्द्र, कालीबाड़ी, रायपुर की ओर आवश्यक कागजातों हेतु सूचनाएं भिजाने।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग  
भारत  
(आर.एम. निदेशक/बी०)  


संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
छत्तीसगढ़

क्रमांक/प.क./2008/

रायपुर दिनांक, 17.12.2008

प्रति .

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,  
बस्तर, बिलासपुर, रायपुर, राजनांदगांव,  
दुर्ग, रायगुजा

विषय :- राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत जिला के मैनेजर (डी.के.एम.) एवं फील्ड की  
आफिसर (एफ.के.ओ) के नाम प्रस्तावित बाबत ।

उपरोक्त विषयांतर्गत आपके जिले में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की गई है ।  
जिसके लिए जिला स्तर के अधिकारी को डिस्ट्रीट की मैनेजर तथा ब्लाक स्तर के अधिकारी, फील्ड  
की आफिसर के नाम से जाना जावेगा, योजना संचालित करवाने में इनकी अहम भूमिका होगी,  
कृपया उक्त योजना हेतु अपने जिले के तत्काल अधिकारियों का नाम प्रस्तावित करने का कष्ट करेंगे ।

दिनांक :- 17.12.2008

नोडल ऑफिसर / संयुक्त संचालक  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
रायपुर (छ.ग.)

क्रमांक/प.क./2008/02  
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक, 17.12.2008

1. संचालक, स्वास्थ्य सेवायें की ओर सूचनार्थ ।
2. संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर सूचनार्थ ।
3. संचालक, (SHRC) काली बाड़ी की ओर सूचनार्थ ।
4. ऑफिस कॉपी ।

नोडल ऑफिसर / संयुक्त संचालक  
राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना  
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
रायपुर (छ.ग.)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
छत्तीसगढ़

क्रमांक/प.क./2008/

रायपुर, दिनांक 16.01.09

प्रति,

मुख्य मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी  
जिला - बिलासपुर, बस्तर, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा,  
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- प्रदेश के छः जिलों बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा, रायपुर में राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के क्रियान्वयन हेतु FKO की नियुक्ति।

आपको जानकर हर्ष होगा कि स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की दिशा में, छत्तीसगढ़ शासन प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के चिन्हांकित जिलों (बस्तर, रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, सरगुजा) में गरीब परिवार अथवा घर द्वारा बनाने वाले गजपूर परिवारों के लिये "राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना" प्रारंभ कर रही है। इस योजना के अंतर्गत गरीब परिवार (पांच सदस्यों तक) 30,000/- तक बीमा किया जायेगा, इस बीमा के तहत मेडिकल एवं सर्जरी बीमारियों के क्षतिपूर्ति की जायेगी। गरीब परिवार के बीमा के लिए प्रिमीयम शासन द्वारा देय होगी। इस हेतु चयनित ओरियन्टल इंश्योरेन्स कंपनी BPL परिवारों को स्मार्ट कार्ड प्रदान करेगी, जिसके द्वारा मुफ्त चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकेंगी।

इस योजना का संचालन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा किया जा रहा है। हम इस राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को राज्य में अतिशीघ्र प्रारंभ करना चाहते हैं। इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु ऊपर अनुसूचित छः जिलों में रहने वाले BPL परिवारों का सूची के द्वारा बीमा कंपनी एक स्मार्ट कार्ड का निर्माण करेगी। स्मार्ट कार्ड बनवाने की प्रक्रिया एवं BPL हितग्राहियों के सत्यापन करने के लिए फ़िल्ड Key ऑफिसर की नियुक्ति की जानी है, जिससे Enrollment Key एवं कार्ड बनवाने की प्रक्रिया संपादित की जा सके।

फ़िल्ड Key Officer के लिए हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता उपयुक्त होंगे, जिससे BPL हितग्राहियों की पहचान सुनिश्चित की जा सके।

अतः अपने जिले में FKO को तैनात कर इसकी सूची अधोहस्ताक्षरीत को प्रेषित करें।

ज्ञात हो, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना का क्रियान्वयन माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा में शामिल है एवं इसी मोनेट्रींग शासन स्तर पर की जा रही है।

  
डॉ. आर.आर.सीहनी  
संयुक्त संचालक/नोडल अधिकारी  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
छत्तीसगढ़  
E-mail [rsbycg@gmail.com](mailto:rsbycg@gmail.com)

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर सूचनार्थ ।
2. संचालक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण की ओर सूचनार्थ ।
3. कलेक्टर जिला बस्तर की ओर सूचनार्थ ।
4. सलाहकार Gtz (RSBY) कंसल्टेंट कालीबाड़ी की ओर सूचनार्थ ।
5. ऑफिस कॉपी ।

डॉ. आर.आर.साहनी  
संयुक्त संचालक / नोडल अधिकारी  
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण  
छत्तीसगढ़  
E-mail [rsbycg@gmail.com](mailto:rsbycg@gmail.com)